

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 332/2015

संस्थित दिनांक-14/09/2015

फाइलिंग नंबर-230303013212015

1- रामनिवास पुत्र कल्याण सिंह गुर्जर,
निवासी ग्राम खुडी थाना सिहोनिया जिला मुरैना
मध्यप्रदेशअपीलार्थी/आरोपी
वि रू द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थी/आरोपी द्वारा श्री एस0एस0 श्रीवास्तव अधिवक्ता

न्यायालय-श्री पंकज शर्मा, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-276/2006 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 03/09/2015 से उत्पन्न
दांडिक अपील ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 23 जनवरी- 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

- उक्त दांडिक अपील अपीलार्थी/आरोपी रामनिवास गुर्जर की ओर से धारा 374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय गोहद श्री पंकज शर्मा द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 276/06 में दिनांक 03/09/15 को घोषित निर्णय व दण्डाज्ञा से व्यथित होकर पेश की है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 25(1) (1-ख) (क) के अपराध के लिये दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है, कि दिनांक 10/03/2006 को रात्रि करीब 09:10 बजे प्र.आर. रामनिवास पुलिस थाना गोहद चौराहा के रोजनामचा सान्हा क्र0-309 दि0-10/03/2006 में रवानगी अंकित कर गश्त हेतु बिरखडी तरफ रवाना हुआ था जब वह बिरखडी जैतपुरा रोड पर गश्त कर वापिस गोहद चौराहा पर आया, तो बस स्टेण्ड पर एक व्यक्ति कैलीवर मोटरसाइकिल पर संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखा, जब उसको रोका गया तो उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भागने का प्रयास किया, जिसे हमराह

फॉर्स राजेश आरक्षक एवं आरक्षक चालक भारतेन्द्र की मदद से घेरकर पकड़ा। आरोपी से नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम रामनिवास पुत्र कल्याण सिंह निवासी खुडी थाना सिहौनिया जिला मुरैना का होना बताया। समक्ष साक्षीगण सुभाष एवं गंगाराम के आरोपी की जामा तलाशी ली गयी तो तलाशी के दौरान उसकी कमर के दाहिने तरफ एक 315 बोर का कटटा तथा कटटे के चैंबर में लगा हुआ एक जिंदा कारतूस व पेंट की बांयी जेब से 315 बोर का खाली खोखा मिला। उक्त कटटा कारतूस को रखने का लाइसेंस पूछे जाने पर उसने नहीं होना बताया। तत्पश्चात् आरोपी से कटटा, कारतूस व मोटरसाइकिल जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया एवं गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। आरोपी के विरुद्ध थाना के अपराध क्र०-41/2006 धारा-25, 27 आयुध अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये व जब्तशुदा कटटा एवं कारतूसों का परीक्षण कराया गया तथा जिला दण्डाधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे०एम०एफ०सी० न्यायालय में पेश किया गया।

3. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र और उसके साथ संलग्न सामग्री के आधार पर धारा 25(1)(1-ख) (क) के तहत आरोप लगाया जाकर विचारण किया विचारण पश्चात् आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध लगाये गये उक्त आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित मानते हुये आरोपी/अपीलार्थी को दो वर्ष के सश्रम कारावास व 500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जिससे व्यथित होकर उक्त दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गई।

4. अपीलार्थी/आरोपी की और से प्रस्तुत दाण्डिक अपील में मूलतः यह आधार लिया गया है कि, जब्ती व गिरफ्तारी के साक्षी सुभाष श्रीवास्तव एवं गंगाराम ने आरोपी से आयुध का जब्त होने का कोई कथन नहीं दिया गया है। वे पक्ष विरोधी हैं उनके द्वारा अभियोजन द्वारा बताये गये घटना का किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थन नहीं है। साक्षी क्र०-3 व अन्य साक्षीगण पुलिस के कर्मचारी हैं जिनके कथनों में गंभीर विरोधाभास आया था। पुलिस कर्मचारी कब व कितने बजे गस्त पर गये इस संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। इन विन्दुओं पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिये आलोच्य निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है, और वह अपास्त किये जाने योग्य है, इसलिये दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा को निरस्त किया जाकर आरोपी/अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाये।

5. इसी अनुरूप अपीलार्थी/आरोपी अधिवक्ता ने तर्क भी किये हैं जिसका खण्डन करते हुये विद्वान ए०जी०पी० श्री बी०एस० बघेल द्वारा अपने तर्कों में यह बताया है कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर उचित निष्कर्ष निकाले हैं, और अवैध कटटा कारतूस आरोपी/अपीलार्थी से बरामद होना प्रमाणित है, कोई तात्त्विक विषंगति नहीं है तथा भिण्ड जिले में अवैध हथियार को लेकर चलने का प्रचलन है, ऐसे में अपराध गंभीर है और दोषसिद्धि

यथावत रखी जाये ।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1- "क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 276/06 में दिनांक 03/09/2015 को आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध अवैध शस्त्र वगैर वैध अनुज्ञप्ति के रखने के अपराध को प्रमाणित मानने में विधि एवं तथ्य की भूल या त्रुटि की गई है, यदि हां तो प्रभाव?
- 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

--- निष्कर्ष के आधार ---

7. **नोट:-** साक्षी गंगाराम अ0सा0-2 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की कथनशीट पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होने से रह गये हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से उक्त साक्षी का कथन दिनांक 17.07.09 को होना पाया जाता है। आदेश पत्रिका में साक्षी का साक्ष्य लिये जाने का उल्लेख है और आदेश पत्रिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अवश्य हैं तथा अ0सा0-2 की कथन शीट पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न होने के संबंध में अन्य कोई आपत्ति भी नहीं उठायी गई है इसलिये उसे यह मानकर साक्ष्यमें ग्राह्य किया जाना उचित व न्यायसंगत होगा कि वह साक्षी अ0सा0-2 के रूप में परीक्षित हुआ था और उसने न्यायालय में साक्ष्य दी थी क्योंकि कथन शीट पर साक्षी गंगाराम के हस्ताक्षर भी हैं ठीक वैसे ही हस्ताक्षर आदेश पत्रिका के हांसिये पर भी हैं। तथा इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। तथा प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा घटना के विवेचक रहे प्र0आर0 बिहारी लाल को दिनांक 14.08.14 को अ0सा0-6 के रूप में एवं दिनांक 23.01.15 को अ0सा0-7 के रूप में दो बार परीक्षित कर लिया गया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और उससे ऐसा स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय का साक्ष्य लते समय अभिलेख का उचित रख रखाव नहीं किया जाता है तथा वगैर अभिलेख देखे ही साक्ष्य लिपिबद्ध कर ली जाती है जो कि उचित नहीं है और इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को सुधार की आवश्यकता है। विहारी लाल जो कि अ0सा0-6 व 7 के रूप में परीक्षित हुआ है उसे एक ही साक्षी के रूप में विश्लेषण में आगे लिया जावेगा। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उसे अ0सा0-6 के रूप में ग्रहण किया है उसी समय उन्हें अ0सा0-7 के रूप में लेखबद्ध होने संबंधी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी।

8. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के अलावा अपील ज्ञापन में उठाये गये बिन्दु और लिये गये आधारों के अनुरूप ही यह व्यक्त किया है कि घटना के स्वतंत्र साक्षियों से समर्थन

नहीं है और घटना का प्रारंभिक दस्तावेज प्र0पी0-1 का जप्ती पत्र और प्र0पी0-2 का गिरफ्तारी पंचनामा के दोनों पंच साक्षी सुभाष श्रीवास्तव और गंगाराम के द्वारा कोई पक्ष समर्थन नहीं किया गया है और वह पक्ष विरोधी रहे हैं। शेष साक्षीगण पुलिस कर्मचारी हैं जो सभी हितबद्ध हैं तथा उन्होंने हितबद्ध होकर साक्ष्य दी है। जिनकी साक्ष्य में विरोधाभास है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है तथा अभिलेख पर ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं कि पुलिस वाले कितने समय पेट्रोलिंग के लिये गये थे और कितने समय पर लौटकर आये थे। इस संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये जिन साक्षियों के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास करके दोषसिद्धि और दण्डाज्ञा अधिरोपित की है वह विधिसम्मत नहीं है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आरोपी/अपीलार्थी को अवैध हथियार रखने संबंधी धारा- 25(1)(1-ख) (क) के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे। जबकि विद्वान ए0जी0पी0 का तर्क है कि स्वतंत्र साक्षियों ने समर्थन अवश्य नहीं किया है किन्तु इस आधार पर अभियोजन की समस्त साक्ष्य को त्यागा नहीं जा सकता है ऐसी विधिक मंशा है। और पुलिस कर्मियों और शासकीय सेवकों की साक्ष्य को केवल इस आधारपर त्यागा नहीं जा सकता है कि वे पुलिस कर्मी होकर शासकीय सेवक हैं। और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर आई साक्ष्य उचित व विधिसम्मत होना पाते हुए दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा पारित की है। आरोपी/अपीलार्थी पर डकैती प्रकरण भी विचाराधीन होना पाया गया है इसलिये दोषसिद्धि और दण्डाज्ञा को अपील निरस्त कर यथावत रखा जावे।

9. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर विचार किया गया।
10. दाण्डिक अपील के संबंध में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपीलीय न्यायालय को भी अपील का निराकरण करते समय साक्ष्य का विवेचन करना चाहिए। जैसा कि न्याय दृष्टान्त **मध्यप्रदेश राज्य विरुद्ध बल्लू उर्फ रामगोपाल 2006 भाग-1 मध्यप्रदेश विधि भास्वर पेज-1** में प्रतिपादित किया गया है।
11. विचाराधीन मामले में आरोपी/अपीलार्थी रामनिवास को आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 का उल्लंघन करना पाते हुए उक्त अधिनियम की धारा- 25(1)(1-ख) (क) के अंतर्गत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि कर दण्डाज्ञा अधिरोपित की गई है।
12. जहाँ तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण में प्रस्तुत हुई साक्ष्य का प्रश्न है, अभियोजन के कथानक में इस आशय की घटना बताई गई थी कि दिनांक 10.03.06 को जब प्र0आर0 रामनिवास सिंह थाना गोहद चौराहा पर प्र0आर0 गस्ती के पद पर पदस्थ था। तब उसे रोजनामचासाह्य क्रमांक-309 की सूचना की तश्दीक के लिये रोड गस्त करते हुए बिरखडी तरफ रवाना किया गया था जिसके साथ अन्य पुलिस बल भी था। उसने बिरखडी जैतपुरा तक रोड गस्त किया था फिर

वापिस गोहद चौराहा पर आया था तब उसे बस स्टेण्ड पर एक व्यक्ति कैलिवर मोटरसाईकिल पर संदिग्ध अवस्था में दिखा था जिसे उसने टोका तो वह एक दम मोटरसाईकिल को स्टार्ट कर भागने का प्रयास करने लगा । जिसे साथ में गये पुलिस बल की मदद से पकड़ा गया जिसमें आरक्षक राजेश और आरक्षक चालक भारतेन्दु भी थे। पकड़कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रामनिवास सिंह पुत्र कल्यानसिंह गुर्जर निवासी खुडी थाना सिहोनिया जिला मुरैना का होना बताया। उसकी मौके पर सुभाष श्रीवास्तव व गंगाराम पंचान के समक्ष तलाशी लेने पर वह अपनी कमर में बाईं तरफ एक 315 बोर का कट्टा खुरसे था जिसमें एक जिन्दा कारतूस चैम्बर में लगा था और पेन्ट की बाईं जेब में एक 315 बोर का खोखा भी रखा था जिसका उसके पास कोई लायसेन्स नहीं था। जिससे उसकी मौके पर जप्ती व गिरफ्तारी की गई थी। इस तरह से मौके की कार्यवाही के साक्षी प्र०पी० रामनिवास सिंह के अलावा आरक्षक राजेशसिंह व भारतेन्दु कुमार एवं आम जनता के व्यक्तियों में सुभाष श्रीवास्तव व गंगाराम हो जाते हैं। जो प्रकरण में साक्षी भी बनाये गये हैं और परीक्षित भी हुए हैं।

13. प्र०पी०-1 के जप्ती पत्रक व प्र०पी०-2 के गिरफ्तारी पत्रक की कार्यवाही मौके की बताई गई है जिसके संबंध में पंच साक्षी सुभाष श्रीवास्तव अ०सा०-1 के रूप में और गंगाराम अ०सा०-2 के रूप में परीक्षित हुए हैं।

14. सुभाष श्रीवास्तव अ०सा०-1 व गंगाराम अ०सा०-2 ने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी को पहचानने से इन्कार करते हुए घटना के विषय में कोई भी जानकारी होनेसे इन्कार किया है। इस बात से भी इन्कार किया है कि दिनांक 10.03.06 को रात करीब 9.10 बजे बस स्टेण्ड गोहद चौराहा पर उनके सामने पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था और उसके कब्जे से एक 315 बोर का देशी कट्टा मय एक जिन्दा राउण्ड के तथा एक चला हुआ राउण्ड का खोखा और एक मोटरसाईकिल की जप्ती कर उसे गिरफ्तार भी किया गया था। दोनों ही साक्षियों ने प्र०पी०-1 के जप्ती पत्रक और प्र०पी०-2 के गिरफ्तारी पत्रक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। अ०सा०-1 ने ए से ए भाग पर और अ०सा०-2 ने बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं। और अ०सा०-1 ने प्र०पी०-3 का और अ०सा०-2 ने प्र०पी०-4 का पुलिस को कथन देने से इन्कार किया है। दोनों ही साक्षी अभियोजन के द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किये गये हैं। उनके सूचक प्रश्नों में भी कोई सकारात्मक तथ्य जप्ती व गिरफ्तारी के संबंध में अभिलेख पर नहीं आये हैं। इसलिये उक्त दोनों साक्षी जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन केवल इस आधार पर यह निराकृत नहीं किया जा सकता है कि जप्ती और गिरफ्तारी पत्रक अप्रमाणित या अविश्वसनीय हैं। यह अवश्य है कि ऐसी स्थिति में शेष साक्षियों की अभिसाक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना अपेक्षित हो जाता है।

15. सुभाष श्रीवास्तव अ०सा०-1 ने पैरा-1 में यह अवश्य कहा है कि वह थाने पर बैठा था तब पुलिस ने उससे हस्ताक्षर करा लिये थे किंतु वह थाने पर किसकारण से बैठा था यह उसके अभिसाक्ष्य में नहीं आया

है। बचाव पक्ष की ओर से दोनों ही साक्षी अ0सा0-1 व 2 पर प्रतिपरीक्षा में भी सुझाव नहीं दिया गया है और गंगाराम अ0सा0-2 ने हस्ताक्षर कर्हों कराये इस बारे में कोई तथ्य नहीं बताया है। जप्ती पत्र के पंच साक्षियों के संबंध में न्याय दृष्टांत **जुझारसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2002 (4) एम0पी0एच0टी0-94** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जप्ती के पंच साक्षियों के पक्ष विरोधी होने मात्र से जप्ती प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है क्योंकि उसे विवेचक प्रमाणित कर सकता है। ऐसे ही मार्गदर्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **जोसेफ विरुद्ध स्टेट ऑफ़ केरल (2003) वोल्व्यूम-1 एस0सी0सी0 पेज-465** में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। ऐसे में यह देखना होगा कि प्रकरण में मौके पर प्र0पी0-1 व 2 की कार्यवाही करने वाले पुलिस कर्मचारी रामनिवास सिंह प्र0आर0 जो कि अ0सा0-8 के रूप में परीक्षित हुआ है, उसकी साक्ष्य विधिक बल रखती है या नहीं या क्या उसकी अभिसाक्ष्य से और अन्य साक्ष्य से मौके की कार्यवाही के दस्तावेज प्र0पी0-1 का जप्ती पत्र और प्र0पी0-2 का गिरफ्तारी पत्रक प्रमाणित हैं या नहीं ? क्योंकि आरोपी/अपीलार्थी की ओर से गिरफ्तारी का कोई खण्डन नहीं किया गया है तथा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य इस संबंध में पेश नहीं की गई है कि दिनांक 10.03.06 को रात 9.10 बजे यदि वह बस स्टेण्ड गोहद चौराहा पर उपस्थित नहीं था तो कर्हों था।

16. अ0सा-8 रामनिवास ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह दिनांक 10.03.06 को थाना गोहदचौराहा में प्र0आर0 गस्ती के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह दौराने इलाका गस्त बस स्टेण्ड गोहदचौराहा पर था तब एक लड़का मोटरसाईकिल कैलिवर पर संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखा था। उसके पास जाने पर वह मोटरसाईकिल स्टार्ट कर भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। तलाशी लेने पर दाहिनी तरफ कमर में एक 315 बोर का लोडेड कट्टा लगा मिला। जिसे रखने बाबत लायसेन्स उसके पास नहीं था। तब उसने तत्पश्चात पंचगण सुभाष श्रीवास्तव एवं गंगाराम के समक्ष जप्ती पत्रक प्र0पी0-1 बनाया था साथ ही मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-2 बनाया था। तथा थाना वापिसी आकर अप0क0-41/06 पर धारा-25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-6 लेख की थी। तथा मौके पर आरोपी रामनिवास से जप्तशुदा कट्टा आर्टिकल-ए-1, जप्तशुदा जिन्दा कारतूस आर्टिकल ए-2 तथा चला हुआ कारतूस आर्टिकल ए-3 वही है जो आरोपी से जप्त किया गया था। जिससे उसके कथनकी पुष्टि उक्त दस्तावेजों के तथ्यों से भी हो रही है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक-04 में बताया है कि एफआईआर की कॉपी उसी दिनांक को न्यायालय को भेज दी थी। यदि एफआईआर में इसका उल्लेख न हो तो वह कारण नहीं बता सकता। तथा आरोपी रामनिवास की खाना तलाशी एवं पूछताछ थाने से लगभग 200 मीटर की दूरी पर की गई। और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-6 की लिखापट्टी थाने पर आकर की थी। तथा गिरफ्तारी एवं जप्ती की कार्यवाही मौके पर ही की थी और

साक्षीगण के हस्ताक्षर कराये थे। उसने पैरा-5 में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आरोपी रामनिवास किसी अन्य अपराध में थाने पर हाजिर हुआ था तथा इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने साक्षी गंगाराम एवं सुभाष के हस्ताक्षर थाने पर एवं अलग अलग पैनों से कराये थे। तथा इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी से कोई कट्टा कारतूस जप्त नहीं हुए। इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने कट्टा एवं राउण्ड को सीलबंद कर जांच के लिये दिनांक अंकित करके नहीं भेजा था और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी रामनिवास के विरुद्ध उसने असत्य प्रकरण दर्ज किया है।

17. मौके पर हमराह पुलिस बल के रूप में उपस्थित रहे आरक्षक राजेश सिंह अ0सा0-5 और आरक्षक भारतेन्दु अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में अ0सा0-8 का समर्थन किया है। अ0सा0-5 को रोजनामचा के संबंध में कोई जानकारी नहीं है किन्तु रोजनामचासन्हा के संबंध में प्र0पी0-6 की एफ0आई0आर0 में उल्लेख है और बचाव पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी की अभिसाक्ष्य के दौरान रोजनामचा के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। ऐसे में रोजनामचासन्हा का प्रकरण में पेश न होने का कोई दुष्प्रभाव अभियोजन पर नहीं माना जा सकता है। तथा आर्टिकल ए-1 के रूप में जप्त किया गया आग्नेय शस्त्र कट्टा तथा आर्टिकल ए-2 के रूप में जीवित कारतूस और आर्टिकल ए-3 के रूप में चला हुआ कारतूस पेश किया गया था उसके संबंध में कोई प्रतिपरीक्षा में खण्डन नहीं किया गया है।

18. अ0सा0-8, अ0सा0-3 एवं अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य में समरूपता स्पष्ट होती है जिससे प्र0आर0 रामनिवास अ0सा0-8 के द्वारा मौके पर अ0सा0-3 व 5 की मदद से आरोपी/अपीलार्थी को पकड़ा जाना, उससे कट्टा व कारतूस बरामद होना प्रमाणित माना जा सकता है। जो आर्टिकल ए-1 लगायत ए-3 के आग्नेय शस्त्र कट्टा कारतूस बरामद हुए हैं उसका कोई वैध आर्म्स लायसेन्स आरोपी/अपीलार्थी पर होना न तो साक्ष्य में बताया गया है न ही तर्कों में बताया गया है। ऐसे में आर्टिकल ए-1 लगायत ए-3 आरोपी के आधिपत्य व संज्ञान से प्रमाणित होना और वह अवैध रूप से रखे पाये जाना उक्त तीनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य से ही प्रमाणित होता है। जप्त वस्तुएं वास्तव में आग्नेय शस्त्र की श्रेणी में आती हैं, या नहीं आती हैं, यह अभी और विश्लेषित करना होगा। और पुलिस कर्मचारी के संबंध में ऐसी कोई उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है कि वह गलत कार्यवाही करेगा। क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि पुलिस साक्षी को भी अन्य साक्षीगण की भांति ही मूल्यांकन में लिया जाता है।

19. इस संबंध में न्याय दृष्टांत ताहिर विरुद्ध दिल्ली राज्य ए 0आई0आर0 1996 सुप्रीमकोर्ट पेज-3079 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी साक्षी पर मात्र पुलिस अधिकारी होने के कारण ही उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है। यह साबित होना चाहिए कि क्यों झूठा मामला बनाया गया। अभिलेख पर तत्कालीन प्रधान आरक्षक रामनिवास सिंह जो कि अ0सा0-8 के रूप में परीक्षित हुआ है उसके अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है

जिससे यह निर्धारित करने को बल मिलता हो कि आरोपी/अपीलार्थी को उसके द्वारा किन विशेष चिन्हित कारणों के कारण झूठा फंसाया गया है न ही आरोपी की ओर से ऐसा कोई बचाव लिया गया है कि उसकी पुलिस से किसी प्रकार की कोई बुराई भलाई पूर्व से थी इसलिये उसे झूठा फंसा दिया गया है। अतः झूठा मामला पंजीबद्ध कर अभियोजित किये जाने का अभिलेख पर कोई प्रमाण नहीं मिलता है।

20. अ0सा0-8 के द्वारा मौके की कार्यवाही के बाद थाने में आकर प्र0पी0-6 की एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध की गई थी जिससे उसकी स्थिति परिवादी की हो जाती है। आगे की विवेचना उसके द्वारा नहीं की गई है और घटना के विवेचक प्र0आर0 बिहारी लाल अ0सा0-6 एवं 7 हैं जिसके द्वारा विवेचना प्राप्त होने पर साक्षियों के बताये अनुसार पुलिस कथन लेखबद्ध करना बताया है जिसमें उसके द्वारा सुभाष श्रीवास्तव, गंगाराम आरक्षक, राजेशसिंह और आरक्षक भारतेन्दु के कथन लेना बताये हैं। सभी साक्षियों के कथन थाने पर लेना बताये हैं। ऐसे में प्रकरण में परिवादी और विवेचक अलग-अलग पुलिस कर्मचारी हैं इसलिये इस संबंध में तकनीकी कमी भी नहीं है। उक्त साक्षी की और अधिक विश्लेषण की आवश्यकता भी नहीं है।

21. जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है कि जप्तशुदा आर्टिकल ए-1 लगायत ए-3 आग्नेय शस्त्र की श्रेणी में आते हैं या नहीं, यह विनिश्चित करना शेष है। जिसके संबंध में अभिलेख पर अभियोजन की ओर से सुरेश दुबे आर्म्स मुहर्निर अ0सा0-4 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि दिनांक 25.03.06 को वह पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आर्म्स मुहर्निर के पद पर पदस्थ था। तब उसने थाना गोहद चौराहा के अप0क0-41/06 धारा-25/27 आयुध अधिनियम में जप्तशुदा 315 बोर का देशी कट्टा व एक कारतूस व एक कारतूस के खोखे की जांच की गई थी जिसमें कट्टे का एक्शन चैक करने के पर सही पाया था और कट्टा चालू हालत में था जिससे फायर किया जा सकता था। तथ कारतूस 315 बोर का चालू हालत में था और फायर योग्य था जिसकी पैदी पर पीछे 8 एमएमकेएफ लिखा था। और खाली खोखा भी 315 बोर का ही था जो आरक्षक राघवेन्द्र सिंह के द्वारा सीलबंद अवस्था में दिया गया था और उसने जांच उपरान्त सीलबंद करके वापिस जमा किया था और प्र0पी0-5 की जांच रिपोर्ट तैयार की थी। कट्टा कारतूस उसने फायर करके अवश्य नहीं देखे। एक्शन के आधार पर चालू होना पाया था। इस तरह से उक्त साक्षी के द्वारा प्र0पी0-5 की जांच रिपोर्ट प्रमाणित होती है और उससे भली-भांति यह प्रमाणित हो जाता है कि आर्टिकल ए-1 लगायत ए-3 की वस्तुएं आयुध अधिनियम 1959 के तहत आग्नेय शस्त्र की श्रेणी में आते हैं। और जैसा कि ऊपर विश्लेषित किया जा चुका है कि आर्टिकल ए-1 लगायत ए-3 आरोपी/अपीलार्थी रामनिवास के आधिपत्य व संज्ञान से बरामद किये गये हैं जिस पर कोई वैध शस्त्र लायसेन्स नहीं था। ऐसे में जप्त हथियार अवैध आग्नेय शस्त्र की श्रेणी में आते हैं जिनको अपने आधिपत्य में व संज्ञान में रखना उक्त अधिनियम की धारा-3 का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके उल्लंघन के लिये

उक्त अधिनियम की धारा- 25(1) (1-ख) (क) में दण्डाज्ञा का प्रावधान किया गया है।

22. आयुध अधिनियम 1959 की धारा-39 के तहत अभियोजन स्वीकृति डी0एम0 की प्राप्ति होने पर ही मामला संज्ञान योग्य होने का प्रावधान है। इस संबंध में भी अभियोजन की ओर से साक्षी दिनेश बाबू शर्मा अ0सा0-9 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह दिनांक 31.03.06 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गोहदचौराहा के अप0क0-41/06 अंतर्गत धारा-25/27 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त रामनिवास पुत्र कल्यानसिंह गुर्जर निवासी खुडी थाना सिहोनिया जिला मुरैना के आधिपत्य से अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा एवं राउण्ड एवं खाली खोखा पाये जाने के कारण अपराध से संबंधित केसडायरी, कारतूस एवं शस्त्र अवलोकन एवं अभियोजन स्वीकृति हेतु कार्यालय जिला दण्डाधिकारी को प्राप्त हुई थी। केसडायरी एवं शस्त्र का अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति आदेश तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी आर0ए0 खण्डेलवाल द्वारा जारी किया गया था। उक्त अभियोजन स्वीकृति प्र0पी0-7 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी आर0ए0 खण्डेलवाल तथा बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। साक्षी दिनेश बाबू अ0सा0-9 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि अभियोजन स्वीकृति प्र0पी0-7 के तथ्यों से भी हो रही है। साक्षी दिनेश बाबू का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य किसी भी तरह प्रतिपरीक्षण में भी खण्डित नहीं किया जा सका है। जिससे यह साबित होता है कि आरोपी/अपीलार्थी रामनिवास के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति विधिवत प्रदान की गई है।

23. इस प्रकार अ0सा0-9 के अभिसाक्ष्य से तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान करने में न्यायिक विवेक का उपयोग किया जाना प्रमाणित होता है। इस प्रकार से उक्त साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-25(1) (1-ख) (क) आयुध अधिनियम 1959 के तहत दोषसिद्ध करने में कोई विधि या तथ्य की भूल या त्रुटि की जाना प्रमाणित नहीं होता है। और उसके संबंध में अपील ज्ञापन में उठाये गये बिन्दु और लिये गये आधार विधिक बल नहीं रखते हैं। अतः दोषसिद्धि के बिन्दु पर आरोपी/अपीलार्थी रामनिवास की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन होने से निरस्त करते हुए दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

24. जहाँ तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को धारा-25(1) (1-ख) (क) आयुध अधिनियम के अपराध के लिये दो वर्ष के सश्रम कारावास और 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। दण्डाज्ञा के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि आरोपी लंबे अरसे से न्यायिक निरोध में है जिससे उसका परिवार संकट में है। अतः उसे निरोध में भोगी गई

अवधि से ही दण्डित कर छोड़ दिया जावे और अर्थदण्ड अधीनस्थ न्यायालय में वह जमा कर चुका है।

25. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध हथियार धारण करने की बढ़ती प्रवृत्ति के आधार पर दण्डाज्ञा अधिरोपित की है और यह निष्कर्ष भी दिया है कि आरोपी/अपीलार्थी डकैती प्रकरण में भी विचाराधीन है। किन्तु किसी आपराधिक मामले में विचाराधीन होने के आधार पर कोई उपधारणा आपराधिक चरित्र के बारे में निर्मित नहीं की जा सकती है क्योंकि भारतवर्ष में प्रचलित दण्डाज्ञा प्रथा मुताबिक जब तक कोई भी आरोपी दोषसिद्ध नहीं हो जाता तब तक वह निर्दोष माना जाता है। इसलिये डकैती अधिनियम के किसी आपराधिक मामले में विचाराधीन होने के आधार पर कड़े दण्ड की उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है। आरोपी/अपीलार्थी विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में रहा है। निर्णय के समय भी वह अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक निरोध में था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से वह दिनांक 11.03.06 से 14.03.06 तक एवं दिनांक 22.06.15 से वर्तमान समय तक न्यायिक निरोध में रहना ही परिलक्षित होता है जिससे उसकी न्यायिक निरोध की अवधि सात माह चार दिन हो जाती है किन्तु जो अपराध प्रमाणित हुआ है। उसके लिये कारावास की जो व्यवस्था है उसमें एक वर्ष से कम के कारावास की दण्डाज्ञा नहीं हो सकती है जब तक कि कोई विशेष कारण न हो और अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने के दण्डादेश का प्रावधान है। अभिलेख पर ऐसी कोई परिस्थिति या ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है जिससे भी आरोपी/अपीलार्थी को एक वर्ष से कम अवधि के कारावास से दण्डित किया जावे।

26. प्रकरण में अपराध की प्रकृति एवं आरोपी की स्थिति को देखते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो दो वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदण्ड की दण्डाज्ञा अधिरोपित की गई है वह वर्तमान परिस्थितियों में अधिक कठोर प्रतीत होती है। क्यों कि अभिलेख पर आरोपी की पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं हुआ है जिससे उसके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है। और सात माह से अधिक अवधि वह न्यायिक निरोध में व्यतीत भी कर चुका है इसलिये आरोपी/अपीलार्थी रामनिवास को आयुध अधिनियम की धारा-25(1) (1-ख) (क) आयुध अधिनियम के कारित अपराध के लिये एक वर्ष का सश्रम कारावास और 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के दो वर्ष के सश्रम कारावास की दण्डाज्ञा को अपास्त करते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास की दण्डाज्ञा अर्थदण्ड को यथावत रखते हुए अधिरोपित की जाती है। जिसमें उसके द्वारा न्यायिक निरोध में भोगी गई अवधि धारा-428 दप्रसं के प्रावधान के अंतर्गत समायोजित की जावे।

27. आरोपी निरोध में है अतः आरोपी का सुपरसेशन वारण्ट तैयार कर सजा भुगताये जाने हेतु जेल भेजा जावे।

28. प्रकरण में जप्तशुदा आयुधों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के

निर्णय की कण्डिका-21 को यथावत् रखा जाता है।

29. निर्णय की एक प्रति आरोपी/अपीलार्थी रामनिवास गुर्जर को दी जावे तथा एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक – 23.01.2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)